आरईसी के विवेकपूर्ण मापदंड

(01 जून, 2013 की स्थिति)

तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखों की अनुसूची के रूप में शामिल निगम की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षेप में निगम द्वारा अपनाए गए महत्त्वपूर्ण विवेकपूर्ण मापदडों का उल्लेख किया गया है। लेकिन आरईसी द्वारा अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण मापदंडों का विशे-ा रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार, इन विवेकपूर्ण मापदंडों का मसौदा तैयार किया गया है और उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। ये विवेकपूर्ण मापदंड सामान्यतः समय-समय पर यथासंशोधित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के विवेकपूर्ण मापदंड (रिजर्व बैंक) संबंधी निदेश 1998 के जरिए एनबीएफसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित विवेकपूर्ण मापदंडों पर आधारित हैं और जब तक संशोधन न किया गया हो, उसकी भा-ा वैसी ही रखी गई है।

1. आरईसी के ये विवेकपूर्ण मापदंड 01 अप्रैल, 2007 से लागू हो चुके हैं, परंतु ''क्रेडिट/निवेश के संकेंद्रण'' संबंधी मानक तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे।

2. परिभा-ाएं

(I) इन मापदंडों के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(i) ''विवरण मूल्य'' से तात्पर्य ऐसी साधारण पूंजी और आरक्षित धनराशि से है जो अमूर्त परिसंपत्तियों और पुनर्मूल्यांकित परिसंपत्तियों से घटाकर, निवेशकारी कंपनी के साधारण शेयरों की संख्या से विभाजित करके निकाली गई हैं।

(ii) ''वहनकारी लागत'' से तात्पर्य परिसंपत्तियों के बही (अंकित) मूल्य तथा उस पर उपचित परंतु अप्राप्त ब्याज से है;

(iii) ''चालू निवेश'' का तात्पर्य ऐसे निवेश से है जो अपने स्वरूप के अनुसार तुरंत वसूली योग्य है और उस तारीख से, जब निवेश किया जाता है, एक व-र् से अनधिक के लिए धारित किया जाना है;

(iv) ''संदिग्ध परिसंपत्ति'' से तात्पर्य-

(क) आवधिक ऋण, या

(ख) पट्टा परिसंपत्ति, या

(ग) किराया खरीद परिसंपत्ति, या

(घ) कोई अन्य परिसंपत्ति

से है जो 18 मास से अधिक की अवधि के लिए अवमानक परिसंपत्ति बनी रहती है;

(v) ''उपार्जन मूल्य'' से तात्पर्य ऐसे इक्विटी शेयर मूल्य से है, जिसे अधिमान लाभांश से कर घटाने के पश्चात् लाभों का औसत निकालकर संगणित किया जाता है और ठीक पूर्ववर्ती तीन व-र्षों तक असाधारण तथा अनावर्ती मदों के लिए समायोजित किया जाता है तथा उसे निम्नलिखित दरों पर निवेशकारी कंपनी के इक्विटी शेयरों की संख्या से फिर विभाजित तथा पूंजीकृत किया जाता हैः-

(क) प्रमुखतः विनिर्माणी कंपनी के मामले में, आठ प्रतिशत;

(ख) प्रमुखतः व्यापारिक (ट्रेडिंग) कंपनी के मामले में दस प्रतिशत; और

(ग) एनबीएफसी सहित किसी अन्य कंपनी के मामले में, बारह प्रतिशत;

टिप्पणीः यदि कोई निवेशकारी कंपनी एक हानि उठाने वाली कंपनी हो, तो उपार्जन मूल्य शून्य माना जाएगा।

(vi) ''उचित मूल्य'' से तात्पर्य उपार्जन मूल्य तथा विवरण मूल्य के मध्यमान (मीन) से है;

(vii) ''हाइब्रिड ऋण'' का तात्पर्य ऐसे पूंजी लिखत से है जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों की कतिपय विशे-नताएं हों।

(viiक) ''अवसंरचना ऋण'' का तात्पर्य ऐसी क्रेडिट सुविधा से है जो किसी उधार लेने वाले को आरईसी द्वारा अवधि ऋण, परियोजना वित्त पैकेज के भाग के रूप में अर्जित परियोजना कंपनी में बंध पत्रों/डिबेंचरों/अधिमान शेयरों/इक्विटी शेयरों के परियोजना ऋण अभिदान के रूप में इस प्रकार दी जाती है कि अभिदान रकम ''अग्रिम प्रकृति'' का हो या उधार लेने वाली निम्नलिखित प्रकार की कंपनी को प्रदान की गई दीर्घकालिक वित्तपोि-त सुविधा का कोई अन्य प्रकार हो;

❒ विकासशील करने या

- ❒ प्रचालन तथा अनुरक्षण करने, या
- ❒ किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने उसे प्रचालित करने तथा अनुरक्षित अर्थात् ऐसी परियोजना जो निम्नलिखित में लगी हो :-

  (क) बिजली, विद्युत उत्पादन तथा वितरण करने;

  (ख) नई पारे-ाण या वितरण लाइनों का नेटवर्क स्थाापित करके विद्युत का पारे-ाण या वितरण करने;

  (ग) वैसी ही प्रकृति की कोई अन्य अवसंरचना।

(viiख) ''संयुक्त क्षेत्रक उधारकर्ता'' एक ऐसी एनटिटी होगी जिसके संबंध में कम से कम 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी धारित करने या देने का वायदा प्राइवेट क्षेत्र की सहभागिता से अथवा संयुक्त रूप से केंद्रीय सरकार/ किसी राज्य सरकार/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम द्वारा देने की प्रतिबद्धता दिखाई गई हो।

(viii) ''हानि परिसंपत्तियों '' से तात्पर्य निम्नलिखित से हैः

(क) कोई ऐसी परिसंपत्ति जिसे उस सीमा तक आरईसी द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, जिस सीमा तक इसे आरईसी द्वारा बट्टे खाते नहीं डाला गया हो या यह परिसपंत्ति 5 व-र्ा से अधिक की अवधि तक संदिग्ध रही हो, इनमें से जो भी पहले हो;

(ख) ऐसी परिसंपत्ति, जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कृत्य या चूक के कारण वसूल न किए जा सकने के किसी संभावित खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

(ix) ''दीर्घकालिक निवेश'' का तात्पर्य चालू निवेश से भिन्न किसी निवेश से है;

(x) ''निवल परिसंपत्ति मूल्य'' का तात्पर्य उस विशि-ट योजना के बारे में संबद्ध म्यूचुअल फंड द्वारा हाल ही में घोि-त निवल परिसंपत्ति मूल्य से है;

(xi) ''निवल बही (अंकित) मूल्य'' से तात्पर्य निम्नलिखित है : -

(क) किराया खरीद परिसंपत्ति के मामले में, ऐसी अतिदेय तथा प्राप्य भावी किस्तों का जोड़ जो अपरिपक्व वित्त प्रभारों के शे-न से घटाकर निकलता है तथा जो इन मापदंडों के पैरा 8(2)(i) के अनुसार किए गए उपबंधों के द्वारा और घटाया जाता है;

(ख) पट्टे पर दी/ली गई परिसंपत्ति के मामले में, अतिदेय पट्टे के किराए के पूंजी भाग का जोड़, जिसे प्राप्य तथा पट्टा समायोजन लेखा के शे-न से समायोजित पट्टा परिसंपत्ति के मूल्यह्रास अंकित मूल्य के रूप में हिसाब में लिया गया हो।

(xii) गैर-नि-पादनकारी परिसंपत्ति (जिनका इन मापदंडों में ''एनपीए'' के रूप में उल्लेख किया गया है) से तात्पर्य है-

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसके संबंध में ब्याज छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है;

(ख) अप्रदत्त ब्याज सहित आवधिक ऋण, यदि किस्त छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय हो या जिस पर ब्याज की रकम छह मास या उससे अधिक की अवधि से अतिदेय हो;

(ग) ऐसी मांग या मांग ऋण, जो मांग की तारीख से छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहा है या जिसको ब्याज राशि छह मास या अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रही है;

(घ) ऐसा कोई बिल, जो छह मास या उससे अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है;

(ड.) ऐसे अल्पकालिक ऋणों/अग्रिमों के प्रकार की ''अन्य चालू परिसंपत्तियों'' शी-र्ा के अधीन प्राप्य ऋण या आय के संबंध में ब्याज छह मास या उससे अधिक की अवधि से अतिदेय रहा है;

(च) ऐसी परिसंपत्तियों के विक्रय या की गई सेवाओं या हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई देय रकम, जो छह मास या उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रही हो;

(छ) ऐसा पट्टा किराया और किराया खरीद की किस्त, जो बारह माह या उससे अधिक अवधि से अतिदेय हुई;

(ज) ऐसे ऋणों, अग्रिमों तथा अन्य क्रेडिट सुविधा (जिनमें क्रय किए गए तथा बट्टा बिल भी शामिल हैं), उस स्थिति में क्रेडिट सुविधाओं के अधीन बकाया शे-न (जिसमें उपचित ब्याज भी शामिल है) के संबंध में, उसी उधारकर्ता/लाभार्थी को उपलब्ध की गई क्रेडिट सुविधाओं में से कोई क्रेडिट सुविधा गैर-नि-पादन परिसंपत्ति बन गई हो।

(xiii) ''स्वीकृत निधि'' से तात्पर्य ऐसी प्रदत्त इक्विटी पूंजी, अधिमान शेयर से है जो इक्विटी, मुक्त आरक्षित धनराशि, शेयर प्रीमियम लेखा में शे-न तथा परिसपंत्ति के विक्रय आगमों से उद्भूत अधिशे-न के रूप में पूंजी आरक्षित धनराशि में अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय हैं, जिसके अंतर्गत परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित वे आरक्षित नहीं हैं जिन्हें संचित हानि अतिशे-न, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा आस्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, से घटा दिया गया हो।

(xiv)(क)''मानक परिसंपत्ति'' से तात्पर्य-

ऐसी परिसंपत्ति से है जो खंड 2(1)(xii) में दिए गए विवरण के अनुसार गैर-नि-पादन परिसंपत्ति नहीं है और जिनके संबंध में मूलधन की वापसी या ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं समझी जाती है और जो किसी समस्या का प्रकटन नहीं करती है या जो कारोबार से संबंधित अधिक सामान्य जोखिम को वहन नहीं करती है और जिसे ऐसी मानक परिसंपत्ति समझा जाता है, जिसकी परिभा-ा नीचे दी गई हैः

और

'एक मानित मानक परिसंपत्ति' से तात्पर्य-

ऐसी सुविधा से है, जो आरईसी को उसके अप्रदत्त बकायों की अदायगी करने के लिए केंद्रीय योजना आबंटन से कटौती के लिए राज्य सरकार के उपक्रम के संबंध में सरकारी यूटिलिटी के लिए बनाई जाती है।

(xv) ''मानित परिसंपत्ति'' से तात्पर्य-

(क) ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे 18 मास से अनधिक की अवधि के लिए गैर-नि-पादन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति से है, जहां ब्याज और/या मूलधन संबंधी करार की शर्ते पुनः बातचीत से तय की गई या पुनःनिर्धारित की गई या पुनःसंरचित की गई हो, वहां तब तक जब तक बातचीत से तय किए गए अनुसार या पुनःनिर्धारित किए गए अनुसार या पुनःसंरचित निबंधनों के अधीन संतो-नजनक नि-पादन का एक व-र्ा समाप्त नहीं हो जाता हैः

परंतुक यह कि किसी मानित परिसंपत्ति के रूप में अवसंरचना ऋण का वर्गीकरण इन निदेशों के पैरा 13ख के उपबंधों के अनुसार होगा;

(xvi) ''अधीनस्थ ऋण'' से तात्पर्य ऐसी पूर्ण रूप से प्रदत्त पूंजी लिखत से है जो अप्रतिभूत है और अन्य लेनदारों के दावों के लिए अधीनस्थ है तथा प्रतिबंधात्मक खंडों से मुक्त है और धारक के कहने पर या आरईसी के सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बिना विमोचनीय नहीं है। ऐसी लिखत का अंकित मूल्य नीचे दिए गए अनुसार बट्टे पर भुगतान के अध्यधीन होगीः

	लिखतों की शे-ा परिपक्वता	**बट्टे की दर (%)**
(क)	1 व-र्ा तक	100%
(ख)	1 व-र्ा से अधिक परंतु 2 व-र्ा तक	80%
(ग)	2 व-र्ा से अधिक परंतु 3 व-र्ा तक	60%
(घ)	3 व-र्ा से अधिक परंतु 4 व-र्ा तक	40%
(ड.)	4 व-र्ा से अधिक परंतु 5 व-र्ा तक	20%

ऐसे बट्टाकृत मूल्य की सीमा टियर-I पूंजी के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(xvii) ''सारभूत हित'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा लाभार्थ हित को धारण करने से है चाहे वे कंपनी के शेयरों में एकल रूप से या एकसाथ लिए गए हों, भुगतान की गई ऐसी रकम जिस पर कंपनी की प्रदत्त पूंजी दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, या किसी भागीदार फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी।

(xviii) ''टियर-I पूंजी'' का तात्पर्य अन्य एनबीएफसी के शेयरों में तथा उसी समूह में अनु-ांगियों तथा कंपनियों को किए गए किराया खरीद और पट्टा वित्त तथा उनके पास निक्षेपों सहित शेयरों, डिबेंचरों, बंधपत्रों, बकाया ऋणों और अग्रिमों में किए गए निवेश से घटाकर निकाली गई स्वधिकृत निधि से है, जो स्वधिकृत निधि के योग का दस प्रतिशत है;

(xix) ''टियर-II पूंजी'' में निम्नलिखित शामिल हैंः

(क) अनिवार्य रूप से इक्विटी में संपरिवर्तनीय को छोड़कर अधिमानी शेयर;

(ख) पचपन प्रतिशत की कटौती दर पर आरक्षित धनराशि का पुनर्मूल्यांकन;

(ग) उस सीमा तक सामान्य उपबंध तथा हानि आरक्षित धनराशियां जिस तक वे किसी विनिर्दि-ट परिसंपत्ति में मूल्य की वास्तविक कमी या अभिज्ञेय संभाव्य हानि के कारण न हो सकने वाली मानी जा सकती है और परिसंपत्तियों के नियत जोखिम सवा प्रतिशत तक अप्रत्याशित हानियों को चुकाने के लिए उपलब्ध है;

(घ) हाइब्रिड ऋण पूंजी लिखत; और

(ड.) अधीनस्थ ऋण

उस सीमा तक जिसका योग टियर-I पूंजी से अधिक न हो।

(2) अन्य शब्द या अभिव्यक्तियों जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण प्रतिमानक (रिजर्व बैंक) निक्षेप स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 या अवशि-ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987 में प्रयुक्त किए गए हैं परंतु परिभाि-त नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम या उन निदेशों के अधीन समय-समय पर उनको समनुदेशित किए गए हैं कोई अन्य शब्द या पद के, जो उस अधिनियम में, के या उन निदेशों में परिभाि-त नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में हैं।

3. आय की मान्यता

(1) आय की मान्यता मान्यताप्राप्त लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित है। वित्तीय खाते लागू लेखा मानकों के अनुसार उपचित पद्धति के तहत ऐतिहासिक लागत पर चालू आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन तैयार किए जाते हैं।

जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाहियों या उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया है वहां गैर-नि-पादनकारी आस्तियों पर आय को, जब और जैसे ही उसे प्राप्त किया जाता है, विनियोग किया जाता है और, मान्यता दी जाती है।

जब तक अन्यथा सहमति न हो जाए, उधारकर्ता से वसूलियां निम्न प्रकार से विनियोग की जाती हैं (i) आरईसी लागत और खर्च (ii) ब्याज कर सहित दंडस्वरूप ब्याज, यदि कोई हो (iii) ब्याज कर सहित अतिदेय ब्याज, यदि कोई हो; और (iv) मूलधन की चुकौती, पुराने को पहले समायोजित करके।

ऐसे ऋणों के संबंध में, जिनकी शर्तें पुनः वार्ता /पुनः अनुसूचित/पुनःगठित की जाती हैं, आय को उस स्थिति में उपचित आधार पर मान्य ठहराया जाता है, जब सही अर्थो में यह अपेक्षा की जाती है कि उधारकर्ताओं से बकाया रकम की प्राप्ति में कोई अनिश्चय नहीं है और विधिक रूप से आबद्धकर करार ज्ञापन नि-पादित कर लिया गया है तथा तदनुरूपी समझौता प्रभावी तारीख से कम से कम एक व-र् की अवधि तक पुनः बातचीत/पुनः अनुसूचित/पुनः गठित शर्तों के अधीन संतो-नजनक ढंग से नि-पादन किया जा रहा है।

(2) ब्याज/बट्टा या गैर-नि-पादन परिसंपत्ति पर किसी अन्य प्रभार सहित आय केवल तब मान्य ठहराई जाती है जब यह वास्तव में प्राप्त हो जाती है। परिसंपत्ति से पूर्व मान्य ठहराई गई कोई ऐसी आय गैर-नि-पादन परिसंपत्ति बन जाती है और शे-न प्राप्त न की गई आय प्रत्यावर्तित हो जाती है।

(3) किराया खरीद की परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां किस्तें 12 मास से अधिक अतिदेय हैं, वहां आय केवल तब मान्य ठहराई जाएगी जब किराया प्रभार वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। किसी परिसंपत्तियों से पूर्व लाभ और हानि लेखों से जमा की गई आय गैर-नि-पादनकारी बन जाती है और शे-न प्राप्त न की गई आय प्रत्यावर्तित हो जाएगी।

(4) पट्टा परिसंपत्तियों के संबंध में, जहां पट्टा किराया 12 मास से अधिक अतिदेय है, वहां आय केवल तब मान्य होगी जब पट्टा किराया वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। परिसंपत्ति से पहले लाभ तथा हानि लेखे में जमा किया गया शुद्ध पट्टा किराया गैर-नि-पादनकारी बन जाता है और शे-न वसूल न किया गया किराया प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

स्प-टीकरणः इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ''शुद्ध पट्टा किराया'' से तात्पर्य लाभ तथा हानि खाते में जमा किया गया/नामे डाला गया पट्टा समायोजन लेखा द्वारा समायोजित सकल पट्टा किराया और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसूची XIV के अधीन लागू दर पर मूल्यह्रास घटाकर निकाले गए किराये से है।

4. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों तथा म्युचुअल फंड की इकाइयों के शेयरों पर लाभांशों से प्राप्त आय को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतुक यह कि कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश से प्राप्त आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जा सकता है और इसकी आम सभा बैठक में आरईसी का अदायगी प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया है।

(2) कारपोरेट निकायों के बंधपत्रों तथा डिबेंचरों और सरकारी प्रतिभूतियों/बंधपत्रों से प्राप्त आय उपचित आधार पर हिसाब में ली जाएगी;

परंतुक यह तब जबकि इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व-निर्धारित हो और ब्याज नियमित रूप अदा किया जा रहा हो अैर कुछ भी बकाया न हो।

(3) निगमित निकायों या सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय, ब्याज की अदायगी तथा ऐसा मूलधन, जिसकी गारंटी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई है, उपचित आधार पर हिसाब में ली जाएगी।

5. लेखांकन मानक

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों का अनुसार किया जाता है।

6. निवेशों का लेखांकन

(1)(क) कंपनी, निदेशक मंडल द्वारा तैयार की गई निवेश नीति का पालन करती है;

(ख) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तथा दीर्घकालिक निवेशों में निवेशों को वर्गीकृत करने के मापदंड का उल्लेख निवेश नीति में किया जाएगा;

(ग) प्रत्येक निवेश करते समय प्रतिभूतियों में निवेश को चालू तथा दीर्घकालिक वर्गो में वर्गीकृत किया जाएगा;

(घ) (i) तदर्थ आधार पर कोई अंतःश्रेणी अंतरण नहीं किया जाएगा;

(ii) यदि अंतःश्रेणी अंतरण अपेक्षित हो तो इसे निदेशक मंडल के अनुमोदन से 01 अप्रैल को या 01 अक्तूबर को प्रत्येक छमाही के आरंभ होने पर ही किया जाएगा;

(iii) अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर चालू से दीर्घकालिक अथवा दीर्घकालिक से चालू स्क्रिपवार निवेश अंतरित किया जाएगा;

(iv) प्रत्येक स्क्रिप में मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाएगा तथा मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा;

(v) एक स्क्रिप में मूल्यह्रास, ऐसे अंतःश्रेणी अंतरण के समय, यहां तक कि उसी श्रेणी की स्क्रिपों के संबंध में भी, किसी अन्य स्क्रिप में मूल्यवृद्धि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

(2) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उल्लिखित चालू निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में समूहबद्ध किया जाएगा, अर्थात्

(क) इक्विटी शेयर,

(ख) अधिमानी शेयर,

(ग) राजकोशीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियां,

(घ) म्युचुअल फंड की यूनिटें, और

(ड.) अन्य।

प्रत्येक श्रेणी के लिए उल्लिखित चालू निवेश का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक श्रेणी के निवेश पर स्क्रिपवार विचार किया जाएगा और प्रत्येक श्रेणी से लागत तथा बाजार मूल्य को सभी निवेशों के लिए जोड़ा जाएगा। यदि इस श्रेणी के लिए समग्र बाजार मूल्य उस श्रेणी के लिए समग्र लागत से कम है, तो शुद्ध मूल्यह्रास का लाभ तथा हानि खाते में प्रावधान किया जाएगा या उसमें प्रभारित किया जाएगा या उसमें से देय होगा। यदि इस श्रेणी के लिए समग्र बाजार मूल्य श्रेणी के लिए समग्र लागत से अधिक है तो शुद्ध मूल्यवृद्धि की ओर

ध्यान नहीं दिया जाएगा। निवेशों की एक श्रेणी में मूल्यह्रास के कारण किसी अन्य श्रेणी में मूल्यवृद्धि में बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी।

(3) चालू निवेशों की प्रकृति वाले अनकोटेड इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत पर या विवरण मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाएगा। लेकिन आरईसी आवश्यक समझे तो शेयरों के विवरण मूल्य के स्थान पर उचित मूल्य तय कर सकता है। यदि निवेशिती कंपनी का तुलन-पत्र दो वर्ष से उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शेयरों का मूल्यांकन केवल एक रुपए पर किया जाएगा।

(4) चालू निवेशों की प्रकृति वाले अनुमानित अधिमान शेयरों को मूल्यांकन लागत या अंकित मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाएगा।

(5) अनकोटेड सरकारी प्रतिभूतियों या सरकारी प्रत्याभूत बंधपत्रों में निवेश का मूल्यांकन (कैरीगं) वहन लागत पर किया जाएगा।

(6) चालू निवेशों के प्रकृति वाले म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में अनुलिखित निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक विशि-ट योजना के संबंध में म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर किया जाएगा।

(7) कामर्शियल पेपरों का मूल्यांकन कैरींग कास्ट के आधार पर किया जाएगा।

(8) दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पणीः अनुलिखित डिबेंचरों की आय को मान्यता तथा परिसंपत्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे डिबेंचरों की अवधि पर निर्भर करते हुए दीर्घकालिक ऋण या अन्य प्रकार की क्रेडिट सुविधाओं के रूप में समझा जाएगा।

7. परिसंपत्ति वर्गीकरण

(1) आरईसी, सुपरिभाषित क्रेडिट खामियों की मात्रा तथा वसूली के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखने के पश्चात, अपनी पट्टे/किराया खरीद परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों और किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत करेगाः

(i) मानक परिसंपत्तियां;

(ii) अवमानक परिसंपत्तियां;

(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां; और

(iv) हानि परिसंपत्तियां;

(2) उपर्युक्त संदर्भित परिसंपत्तियों की श्रेणी के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप तब तक उन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि वे उन्नयन के लिए अपेक्षित शर्तों को पूरा न कर दें।

(3) विवेकपूर्ण मापदंडों तथा उपबंधकारी मापदंडों के अनुप्रयोग के प्रयोजन के लिए-

(i) राज्य/केंद्रीय क्षेत्रक संस्थाओं को प्रदान की गई सुविधाओं पर ऋण-वार विचार किया जाता है।

(ii) अन्य संगठनों को प्रदान की गई सुविधाओं पर उधारकर्ता-वार विचार किया जाता है।

8. प्रावधान संबंधी अपेक्षाएं

आरईसी, गैर-नि-पादनकारी बनने वाले खाते, इसके इस रूप में स्वीकार किए जाने, प्रतिभूति की वसूली और प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में कुछ समय के बाद ह्रास होने के बीच के समय के अंतराल पर विचार करने के बाद आवश्यक परिसंपत्तियों, संदिग्ध परिसंपत्तियों और उसके अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार हानि परिसंपत्तियों के लिए निम्नलिखित प्रावधान करेगाः

1. ऋण, अग्रिम तथा अन्य क्रेडिट सुविधाएं, जिनमें खरीदे गए तथा बट्टा किए गए बिल भी शामिल हैं, तथा उन पर डिसकाउंट देने के बाद

ऋण, अग्रिम तथा अन्य इक्विटी सुविधाओं, जिनमें क्रय तथा बट्टा किए गए बिल भी शामिल हैं, के संबंध में अपेक्षित प्रावधान इस प्रकार होंगेः

(i) हानि परिसंपत्तियांः ऐसी संपूर्ण परिसंपत्ति बट्टे खाते में डाल दी जाएगी, यदि किसी कारण से इन परिसंपत्तियों को बहियों में रहने दिए जाने की अनुमति दी जाती है, तो 100 प्रतिशत बकाया के लिए प्रावधान किया जाएगा;

(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां-

(क) प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, जिसके लिए आरईसी के पास एक विधिमान्य वसूली का उपाय है, से अग्रिम के लिए व्यवस्था किए जाने की सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा। वसूली योग्य मूल्य का वास्तविक आधार पर आकलन किया जाएगा; जिसे ऋण के संबंध में केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई हो। वह ऋण या किसी राज्य सरकार को किए गए ऋण की गांरटी से प्रतिभूत समझा जाएगा।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, उस अवधि पर निर्भर करते हुए जिसके लिए परिसंपत्ति संदिग्ध रही है, सुरक्षित भाग (अर्थात बकायों का प्राक्कलित वसूली-योग्य मूल्य) की 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की सीमा तक के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगाः

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति संदेहास्पद समझी गई है	**प्रावधान का प्रतिशत**
1 वर्ष तक	20%
1 से 3 वर्ष तक	30%
3 वर्ष से अधिक	50%
(iii) अवमानक परिसंपत्तियां	10% का प्रावधान किया जाएगा

2. <u>पट्टा और किराया खरीद परिसंपत्तियां</u>

किराया खरीद तथा पट्टाकृत परिसंपत्तियों के संबंध में अपेक्षित प्रावधान इस प्रकार होंगेः

किराया खरीद परिसंपत्तियां

(i) किराया खरीद परिसंपत्तियों के संबंध में; निम्नलिखित से घटाकर कुल देय (अतिदेय तथा भावी किस्तों को एक साथ जोड़कर)

(क) ऐसे वित्त प्रभार जो लाभ तथा हानि के खाते जमा नहीं किए गए हैं और अपरिपक्व वित्त प्रभारों के रूप में अग्रेनीत किए गए हैं; और

(ख) अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाएगा।

स्प-टीकरणः इस पैरा के प्रयोजन के लिए

(1) परिसंपत्ति का मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि पर 20% प्रति वर्ष की दर मूल्यह्रास में से घटाकर आने वाली परिसंपत्ति की मूल लागत के रूप में काल्पनिक रूप से हिसाब में ली जाएगी।

(2) पुरानी परिसंपत्ति की स्थिति में, मूल लागत ऐसी पुरानी परिसंपत्ति के अर्जन के लिए खर्च की गई वास्तविक लागत होगी।

किराया खरीद तथा पट्टाकृत परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

(ii) किराया खरीद या पट्टा परिसंपत्तियों के संबंध में, अतिरिक्त प्रावधान इस प्रकार किया जाएगाः

(क) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 12 मास तक अतिदेय है - शून्य

अवमानक परिसंपत्तियांः

(ख) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 12 मास से अधिक परंतु 24 मास तक अतिदेय है - निवल बही (अंकित) मूल्य का 10%।

संदिग्ध परिसंपत्तियांः

(ग) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की भी कोई राशि 24 मास से अधिक परंतु 36 मास तक अतिदेय है - निवल बही मूल्य का 40 प्रतिशत।

(घ) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 36 मास से अधिक परंतु 48 मास तक अतिदेय है - निवल बही मूल्य का 70 प्रतिशत

हानि परिसंपत्तियांः

(ड.) जहां किराया खरीद या पट्टा किराया की कोई राशि 36 मास से अधिक परंतु 48 मास तक अतिदेय है - निवल बही मूल्य का 100 प्रतिशत

(iii) किराया खरीद की अंतिम किस्त की देय तारीख के पश्चात 12 मास की अवधि की समाप्ति पर, समग्र निवल बही मूल्य का प्रावधान किया जाएगा।

टिप्पणीः

(1) किराया खरीद करार के अनुसरण में आरईसी के पास उधारकर्ता द्वारा रखे गए जमानती रुपया/अतिरिक्त धन या प्रतिभूति निक्षेप की रकम में, यदि करार के अधीन समान मासिक किस्तों की गणना करते समय पहले हिसाब में नहीं ली गई है उपर्युक्त खंड (i) के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार कटौती की जा सकेगी। किराया खरीद करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य की उपर्युक्त खंड (ii) के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार ही कटौती की जा सकेगी।

(2) पट्टा करार के अनुसरण में उपलब्ध किसी अन्य प्रतिभूति के मूल्य सहित, पट्टा करार के अनुसरण में आरईसी के पास उधारकर्ता द्वारा रखे गए प्रतिभूति निक्षेपों की रकम के ऊपर खंड (ii) के अधीन किए गए प्रावधान के अनुसार ही कटौती की जाएगी।

(3) यह स्प-ट किया जाता है कि गैर-नि-पादन परिसंपत्तियों पर आय मान्यता तथा उसके विरुद्ध उपबंध करना विवेकपूर्ण मापदंडों के दो भिन्न पहलू हैं और इन प्रतिमानकों के अनुसार उपबंध पट्टा समायोजन खाते में अतिशे-न का, यदि कोई हो, समायोजन करने के पश्चात् संदर्भाधीन पट्टाकृत परिसंपत्ति का मूल्यह्रास बही मूल्य सहित कुल बकाया अतिशे-नों पर गैर-नि-पादन परिसंपत्तियों पर, किए जाने अपेक्षित हैं। तथ्य यह है कि गैर-नि-पादन परिसंपत्ति पर आय को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इसे प्रावधान न करने के लिए, कारण नहीं माना जा सकता है।

(4) कोई परिसंपत्ति जिसे इन निदेशों के पैरा (2र(xv)(ख) में निर्दि-ट अनुसार पुनः वार्ता है, या पुनः सूचीबद्ध किया गया है या पुनः निर्मित किया गया है, अवमानक परिसंपत्ति होगी या उसी श्रेणी में बनी रहेगी जिसमें यह, यथास्थिति, संदिग्ध परिसंपत्ति या हानि परिसंपत्ति के रूप में इसके पुनः वार्ता या पुनः नियत या पुनः निर्मित किए जाने से पूर्व थी। आवश्यक उपबंध ऐसी परिसंपत्ति को यथालागू उसके उन्नत किए जाने तक किया जाना अपेक्षित है।

(5) सभी वित्तीय पट्टों पर प्रावधान संबंधी ऐसी अपेक्षाएं लागू होंगी जो किराया खरीद परिसंपत्तियों पर लागू होती हैं।

9. तुलन-पत्र में प्रकटन

(1) आरईसी, ऊपर पैरा 8 के अनुसार किए गए प्रावधानों को आय या परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुसार निवल लाभ के रूप में प्राप्त किए बिना अपने तुलन-पत्र में पृथक रूप से प्रकट करेगा।

(2) इन प्रावधानों को निम्नलिखित रूप में पृथक लेखा शी-र्षों के अधीन सुस्प-ट रूप से दर्शाया जाएगाः

(i) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान; और

(ii) निवेशों में ह्रास के लिए प्रावधान।

(3) ऐसे प्रावधानों को आरईसी द्वारा धारित साधारण प्रावधानों तथा हानि आरक्षित धनराशियों, यदि कोई हों, से अलग नहीं रखा जाएगा।

(4) प्रत्येक वर्-ा के लिए ऐसे प्रावधानों को लाभ और हानि लेखा में नामे डाला जाएगा। साधारण प्रावधानों तथा हानि आरक्षित धनराशि शी-र्षों के अधीन धारित प्रावधानों, यदि कोई हों, का उनके संबंध में समायोजन किए बिना प्राक्कलन किया जाएगा।

9क लेखापरीक्षा समिति का गठन

आरईसी ने एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है, जिसमें उसके निदेशक मंडल के रूप में कम से कम तीन सदस्य होंगे।

स्प-टीकरण 1: कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292क की अपेक्षानुसार आरईसी द्वारा गठित की गई लेखापरीक्षा समिति, इस पैरा के प्रयोजनों के लिए लेखापरीक्षा समिति होगी;

स्प-टीकरण 2: इस पैरा के अधीन गठित लेखापरीक्षा समिति की वही शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य होंगे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 292क में निर्धारित हैं।

9ख. लेखांकन वर्-ा

आरईसी प्रत्येक वर्-ा 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपना तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि खाता तैयार करेगा।

9खख. तुलन-पत्र की अनुसूची

आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित अपने तुलनपत्र के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित अनुसूची में दिए गए प्रारूप में विशिन्टियां संलग्न करेगा।

9ग. सरकारी प्रतिभूतियों में लेन-देन

(1) आरईसी

(i) अपना निवेश किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास खोले गए कांस्टिट्यूट सब्सिडियरी जनरल लेजर (सीएसजीएल) में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से निक्षेपागार के साथ खोले गए डिमैटिरियलाइज्ड खाते में अनुमोदित प्रतिभूतियां रखेगा; और

(ii)अपने सीएसजीएल खाते या अपने डिमैटिरियलाइज्ड खाते के माध्यम से ही इन प्रतिभूतियों में लेन-देन करेगा।

(2)आरईसी किसी दलाल के साथ फिजिकल फार्म में प्रत्यक्ष रूप से इन प्रतिभूतियों में लेन-देन नहीं करेगा।

10. पूंजी पर्याप्तता के बारे में अपेक्षाएं

आरईसी, एनबीएफसी के लिए समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तथा तुलन-पत्र से बाहर की जोखिम द्वारा समायोजित मूल्य की टियर-I तथा टियर-II पूंजी के न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखेगा। पूंजी पर्याप्तता अनुपात को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित पद्धति के अनुसार परिकलित किया जाएगा।

किसी भी समय टियर-II पूंजी का योग टियर-I पूंजी एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पर्याप्तता अनुपात ऐसी प्रतिशतता पर बनाए रखा जाएगा जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित पूंजी पर्याप्तता अनुपात से कम होगा (जो कि आईएफसी के लिए वर्तमान में 15% है)।

जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के लिए पूंजी का परिकलन करने में, राज्य सरकार आरईसी के गारंटीकृत ऋण, जो चूक के दायरे में नहीं हैं, 20% के एक जोखिम भार को समनुदेशित करेगी, जैसीकि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं.डीएनबीएस.सीओ.जैडएमडी-एन14.18-014/2009-2010 दिनांक 29 जून, 2010 में अनुमति दी गई है।

11. भूमि तथा भवन और अनकोटेड शेयरों में निवेश पर प्रतिबंध

(i) यदि आरईसी सरकारी निक्षेपों को स्वीकार कर रहा है, तो यह निम्नलिखित में निवेश नहीं करेगाः

(क) अपने उपयोग के सिवाय भूमि या भवन में अपनी स्वामित्व निधियों के दस प्रतिशत से अधिक रकम।

(ख) ऐसी किसी अन्य कंपनी के अनकोटेड शेयरों में, जो आरईसी की अनु-ंगी कंपनी या उसी समूह की कंपनी नहीं है, उसकी स्वामित्व निधियों के 20% से अधिक रकम।

परंतु अपने ऋणों के चुकाए जाने में अर्जित भूमि, या भवन या अनकोटेड शेयरों का ऐसे अर्जन की तारीख से तीन व-र् की अवधि के भीतर आरईसी द्वारा निपटान तब किया जाएगा, जब आरईसी द्वारा पहले से ही धारित ऐसी परिसंपत्तियों सहित इन परिसंपत्तियों में निवेश उपरोक्त अधिकतम सीमा से अधिक है।

स्प-टीकरणः अनकोटेड शेयरों में निवेश पर अधिकतम सीमा का परिकलन करते समय सभी कंपनियों के ऐसे शेयरों में निवेश का जोड़ किया जाएगा।

परंतु यह भी कि अनकोटेड शेयरों के निवेश की अधिकतम सीमा निदेशक मंडल द्वारा विशे-न रूप से अनुमत सीमा तक किसी बीमा कंपनी की साधारण पूंजी में निवेश के संबंध में लागू नहीं होगी।

12. क्रेडिट/निवेश का संकेंद्रण

क. राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों/केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रमों को <u>छोड़कर</u> उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋण पर लागूः

(1) आरईसी

(i) निम्नलिखित को उधार नहीं देगाः

(क) किसी एकल उधारकर्ता को जिसके अपने स्वामित्व की निधियां 25% से अधिक हों; तथा

(ख) उधारकर्ताओं के किसी एकल समूह को, जिसकी अपने स्वामित्व की निधियां 40% से अधिक हों।

(ii) निवेश नहीं करेगा :

(क) किसी अन्य कंपनी के शेयरों में जिसमें अपने स्वामित्व की निधियां 15% से अधिक हों; तथा

(ख) कंपनियों के किसी एकल समूह के शेयरों में, जिसमें अपने स्वामित्व की निधियां 25% से अधिक हों।

(iii) उधार नहीं देगा और निवेश नहीं करेगा (ऋण/निवेश को एकसाथ मिलाकर) के मामले में-

(क) किसी एकल पार्टी के लिए अपने स्वामित्व की निधियां 30% प्रतिशत से अधिक हों; तथा

(ख) पार्टियों के किसी एकल समूह के अपने स्वामित्व की निधियां 50% से अधिक व्यय न हों।

परंतुक यह भी कि क्रेडिट/निवेश संकेंद्रण पर उपरोक्त अधिकतम सीमाएं सरकारी कंपनी या किसी सरकारी वित्तीय संस्था या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमोदित प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लागू नहीं होंगी।

परंतुक यह कि साथ ही किसी अन्य कंपनी के शेयरों में निवेश पर उपर्युक्त अधिकतम सीमा निदेशक मंडल द्वारा लिखित में विशे-न रूप से अनुमत सीमा तक किसी बीमा कंपनी की इक्विटी पूंजी में निवेश के संबंध में लागू नहीं होगी।

ख. राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों/केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रमों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में लागूः

राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों/केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रमों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में निम्नलिखित समग्र सीमाओं के अंतर्गत संगठन मूल्यांकन के आधार पर पृथक प्रकटन सीमाओं को निर्धारित किया गया हैः

1. राज्य विद्युत यूटिलिटी (जहां एक से अधिक डिस्कॉम नहीं बनाए गए हैं, वहां एकीकृत रा.बि.बो. और राज्यों के डिस्कॉम से भिन्न)/विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए आरईसी के नेटवर्थ का 100%।

2. डिस्कॉम के लिए (राज्यों में जहां वितरण कार्य की देखभाल करने के लिए एकल डिस्कॉम बनाए गए हैं) आरईसी के नेटवर्थ का 200%।

3. एकीकृत रा.बि.बो. के लिए आरईसी के नेटवर्थ का 250%।

4. उपर्युक्त श्रेणी 1 से 3 तक के अलावा, केंद्रीय/राज्य क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्रकः उधारकर्ता के लिए आरईसी के नेटवर्थ का 50%।

टिप्पणियां:

(1) (क) जहां एकल वितरण कंपनी विद्यमान है (जिसे अभी विभाजित नहीं किया गया है) वहां राज्य में आरईसी के निवल मूल्य की प्रकटन सीमा 100% से अधिक तथा 200% तक और एकीकृत रा.बि.बो. के लिए आरईसी के नेटवर्थ का 250% तक केवल वहां अनुमति दी जाएगी, जहां आरईसी ने संबद्ध राज्य/यूटिलिटी को 'क' या 'ख+' श्रेणी के रूप में दर्जा दिया है/वर्गीकृत किया है।

(ख) प्रकटन सीमा में से एकीकृत रा.बि.बो. के लिए आरईसी के नेटवर्थ के 250% तक अनुमति दी गई है। उत्पादन परियोजनाओं के लिए प्रकटन सामान्यतः आरईसी के नेटवर्थ के 100% तक सीमित होगा।

(ग) पारे-ाण और वितरण परियोजनाओं के मामले में आरईसी के नेटवर्थ के 100% की सीमा से परे प्रकटन के लिए-

(i) जहां वर्तमान समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 30% से अधिक हैं, वहां उधार लेने वाला संगठन उस परियोजना के लिए न्यूनतम 2% तक प्रति वर्-ा हानियों को 30% का स्तर प्राप्त करने तक कम करेगा।

(ii) जहां वर्तमान समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां 30% से कम लेकिन 20% से अधिक हैं, वहां उधार लेने वाला संगठन उस परियोजना के लिए न्यूनतम 1% तक प्रति वर्ष हानियों को 20% का स्तर प्राप्त करने तक कम करेगा।

(iii) उपरोक्त (क) और (ख) में संदर्भित समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के लिए आधार तिथि परियोजना की स्वीकृति वाले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च होगी।

(2) उपरोक्त प्रकटन सीमाओं का निर्धारण करने के लिए तुलन-पत्र से बाहर प्रकटनों को भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों में यथाउपबंधित परिवर्तन कारकों को लागू करके क्रेडिट जोखिम में संपरिवर्तित किया जाए।

(3) उपर्युक्त परियोजना हेतु डिबेंचरों में निवेश को क्रेडिट के रूप में न कि निवेश के रूप में समझा जाए।

(4) क्रेडिट/निवेश पर उपर्युक्त अधिकतम सीमाएं आरईसी के अपने ही समूह और साथ ही में उधारकर्ता/निवेशकारी कंपनियों के अन्य समूह पर लागू होंगी।

(5) इस प्रयोजन के लिए क्रेडिट प्रकटन की सभी स्कीमों (गारंटी सहायता सहित) और नि-पादित ऋणों के लिए असंवितरित प्रतिबद्धताओं के अधीन बकाया क्रेडिटों के रूप में गणना की जाएगी/आरईसी के नेटवर्थ को अंतिम लेखापरीक्षित/अनंतिम (तिमाही/छमाही) खातों के अनुसार माना जाएगा।

(6) उन सभी मामलों में, जहां कारपोरेशन या तो क्रेडिट के रूप में या निवेश के रूप में मुख्य प्रकटन अपनाने पर विचार करता है, वहां कारपोरेशन उधारकर्ता संगठन के निदेशक मंडल (निदेशकों) के नामांकन की शर्त अधिरोपित करेगा और ऐसे नामांकन या तो कारपोरेशन के भीतर से या अन्यथा, जैसा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्णय किया जाए, करेगा।

13. भारतीय रिजर्व बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करना

आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगा, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

13क पते में बदलने, निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि में परिवर्तन के बारे में सूचना तब प्रस्तुत की जाए जब सार्वजनिक जमा को स्वीकार/धारण किया जा रहा हो

आरईसी निम्नलिखित वि-नयों में कोई परिवर्तन होने के एक मास के भीतर निम्नलिखित सूचित करेगाः

(क) पंजीकृत/कॉरपोरेट कार्यालय का संपूर्ण डाक-पता, टेलीफोन नंबर तथा फैक्स नंबर;

(ख) कंपनी के निदेशकों के नाम तथा उनके निवास के पते;

(ग) इसके प्रधान अधिकारियों के नाम तथा उनके सरकारी पदनाम;

(घ) कंपनी के लेखापरीक्षकों के नाम एवं कार्यालय पते;

और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सरकारी निक्षेप स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 की दूसरी अनुसूची में यथाइंगित भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर भेजेगा।

13ख. अवसंरचना ऋण संबंधी मानक

(1) <u>अनुप्रयोज्यता</u>

(i) ये मापदंड इन मापदंडों के पैरा 2(1)(viiक) में यथा परिभाषित अवसंरचना संबंधी ऋण जो पूर्णतया या अंशतः प्रतिभूत मानक तथा अवमानक परिसंपत्ति हैं, और उस ऋण से, जो निबंधनों के पुनर्संरचित तथा/अथवा पुनर्निर्धारित तथा/या पुनः वार्ता के अध्याधीन है, से संबंधित करार के निबंधनों को पुनर्संरचित तथा/अथवा पुनर्निर्धारित तथा/या पुनः विमर्श की शर्तों के अनुसार होंगे।

(ii) जहां परिसंपत्ति अंशतः प्रतिभूत की जाती है, वहां, वर्तमान मूल्य आधार पर अपेक्षित उपबंध से अलग, परंतु विवेकशील मापदंडों के अध्यधीन, ऋणों के पुनर्संरचित तथा/अथवा पुनर्निर्धारित तथा/या पुनः वार्ता करते समय उपलब्ध प्रतिभूति में कमी की सीमा के लिए उपबंध किया जाएगा।

(2) अवसंरचनात्मक ऋण की शर्तों के निबंधनों की पुनः संरचना, पुन: तालिकावद्ध करना और इनके बारे में पुनः वार्ता

आरईसी, परिसंपत्ति के अवमानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात् कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नीति कार्यपद्धति के अनुसार अवसंरचनात्मक ऋण करार की शर्तों की पुनर्संरचना या उनको पुनर्निर्धारण या उनके बारे में पुनः वार्ता करेगा।

परंतुक यह कि मूलधन और/या ब्याज की पुनर्संरचना और/या उसे पुनर्निर्धारण और/या पुनः वार्ता अथवा पुनर्संरचना या पुन: निर्धारण करने वाले पैकेज त्याग सहित या त्याग रहित हो सकेंगे।

(3) पुनर्संरचित मानक ऋण का निरूपण

किसी मानक परिसंपत्ति के पुनर्निर्धारण या पुनर्संरचना करने या पुनः वार्ता करने से इसे पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा बशर्ते कि पुनरीक्षित परियोजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवहार्य पाई जाए।

(4) पुनर्संरचित अवमानक परिसंपत्ति का निरूपण

एक वर्-ा की समाप्ति तक अवमानक परिसंपत्ति मूलधन की किस्तों की पुनर्संरचना करने या उनके पुनर्नियतीकरण या पुनः वार्ता की दशा में उसी श्रेणी में बनी रहेंगी और समायोजन के मुद्दे, जिसके अंतर्गत बाद में यथाविनिर्दि-ट ब्याज के तत्व में पिछले ब्याज देय के अपलिखित किए जाने के रूप में समायोजन भी है, छोड़ी गई ब्याज की रकम, यदि कोई हो, मान्यता प्राप्त नहीं होगी।

(5) ब्याज का समायोजन

जहां पुनर्नियतीकरण या पुनः वार्ता या पुनर्संरचना में व्याज दर कटौती निहित है, वहां ब्याज समायोजन अवसंरचना ऋण (उधारकर्ता को लागू जोखिम रेटिंग के लिए यथा समायोजित) को वर्तमान रूप में लागू ब्याज की दर और पुनर्संरचना, पुनर्नियतीकरण या पुनः वार्ता प्रस्थापना में अनुबंधित इस प्रकार संदेय भावी ब्याज की वर्तमान मूल्य (जोखिम वृद्धि के लिए समायोजित अवसंरचना ऋण को वर्तमान में लागू दर पर छूट) के योग के बीच अंतर को लेकर संगणित किया जाएगा।

(6) वित्तपोि-त ब्याज

गैर-नि-पादन परिसंपत्तियों के बाबत ब्याज के वित्तपो-ण के मामले में, जहां वित्तपोनित ब्याज आय के रूप में मान्यता प्राप्त है, वहां वित्तपोनित ब्याज का पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाएगा।

(7) आय मान्यता संबंधी मानक

अवसंरचना ऋण की बाबत आय मान्यता इन निदेशों के पैरा 3 के उपबंधों द्वारा प्रशासित होगी।

(8) पुनर्संरचित अवमानक अवसंरचना ऋण के उन्नयन के लिए पात्रता

यदि अवमानक संपत्ति की पुनः तालिका बनाई जाती है, या उस पर फिर से वार्ता की जाती है, या उसकी फिर से संरचना की जाती है, भले ही वह मूलधन अदायगी की किस्तों के बारे में हो अथवा ब्याज राशि से संबंधित हो उसके बारे में कोई भी तौर तरीके अपनाए जाएं, अगले वर्ग में तब तक उसे उच्चीकृत नही किए जाए, जब तक संतो-नजनक से पुनः संरचना पुनः तालिकाबद्ध करने या शर्तों को तय किए जाने के अधीन एक व-र्ा न बीत गया हो।

(9) ऋण का इक्विटी में परिवर्तन

जहां ब्याज के रूप में देय रकम इक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित की जाती है और आय को परिणामस्वरूप मान्यता दी जाती है, वहां ऐसी आय मान्यता के प्रभाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार मान्य ठहराई गई आय की रकम के लिए पूर्ण उपबंध किया जाएगा;

परंतुक यह कि उस स्थिति में कोई उपबंध किया जाना अपेक्षित नहीं है यदि इक्विटी में ब्याज का परिवर्तन कोटेड इक्विटी के रूप में किया गया हो;

परंतुक यह भी कि ऐसे मामलों में ब्याज की आय को, परिवर्तन की तारीख पर इक्विटी में परिवर्तित ब्याज की रकम को इक्विटी के बाजार मूल्य के आधार पर मान्यता दी जा सकेगी।

(10) ऋण का डिबेंचरों में परिवर्तनः

जहां गैर-नि-पादनकारी परिसंपत्तियों के संबंध में मूलधन और/या ब्याज की रकम डिबेंचरों में परिवर्तित कर दी जाती है, वहां ऐसे डिबेंचरों को उसी परिसंपत्ति के वर्गीकरण में आरंभ से ही गैर-नि-पादन परिसंपत्ति

के रूप में समझा जाएगा, जो परिवर्तन से ठीक पूर्व ऋण पर लागू था और मापदंड के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

(11) ट्रिप्पल 'एएए' रेटिंग वाली प्रतिभूति में निवेश के लिए जोखिम का भार

अवसंरचना सुविधा से संबंधित ट्रिप्पल 'एएए' रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश पर निम्नलिखित शर्तों के पूरे किए जाने की शर्त पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों के लिए 50% का जोखिम निर्धारण लागू होगाः

(i) अवसंरचना सुविधा आय/नकद प्रवाह उत्पन्न करता है जो प्रतिभूत कागज-पत्र की सर्विसिंग/ऋण की वापसी सुनिश्चित करता है।

(ii) किसी एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा की गई रेटिंग वर्तमान में चल रही है, और वह वैध है।

स्प-टीकरणः विश्वास की गई रेटिंग को चालू और वैध समझा जाएगा, यदि रेटिंग इश्यू के खुलने की तारीख को एक मास से अधिक पुरानी नहीं है, और इश्यू के खुलने की तारीख को रेटिंग एजेंसी से रेटिंग रेशनेल एक व-र्ा से अधिक पुरानी नहीं है और रेटिंग पत्र तथा रेटिंग रेशनेल प्रस्थापना दस्तावेज का भाग है।

(iii) सेकंडरी मार्केट से खरीद के मामले में इश्यू की ट्रिप्पल 'एएए' रेटिंग प्रवर्तन में हो और संबंधित रेटिंग एजेंसी, द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में इसकी पुन्टि की गई हो।

(iv) प्रतिभूतिकृत लिखित नि-पादनकारी परिसंपत्ति माने जाएंगे।

(12) छूट

निदेशक मंडल, यदि वह किसी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य न्यायसंगत तथा पर्याप्त कारण के लिए आवश्यक समझता है, या सामान्य रूप से या किसी विनिर्दि-ट अवधि के लिए, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह अधिरोपित करे, इन निदेशों के सभी उपबंधों या उनमें से किसी उपबंध का अनुपालन करने या उनसे छूट प्राप्त करने के लिए समय का विस्तार प्रदान कर सकेगा।

(13) निर्वचन

इन मानकों के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसके अंतर्गत आने वाले किसी वि-नय के संबंध में आवश्यक स्प-टीकरण जारी कर सकते हैं।